Conduct of Elections Rules 1961 (Statutory Rules and Order) FORM 21 C (See Rules 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act. 1951

Election to the Legislative Assembly of State of Rajasthan from 172-Pratapgarh (ST) Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

SHREE RAM LAL MEENA Village – Manavla, Panchayat & Post Luhariya, Teh. & Dist. - Pratapgarh sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS has been elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place – Pratapgarh Date – 11-12-2018

ant.

(Var Singh)

Retu**र्वा शिक्ष** (SDM) Assembly Constitue क्यू विस्त्राच्छा (172)

१७२ (अ.ज.जा.) प्रतापाड

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (कानूनी नियम और आदेश) प्रारुप 21 (ग)

(नियम 64 देखिये)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिये, जब स्थान सविरोध हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

172 — प्रतापगढ़ (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन ।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ठ उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि :--

श्री रामलाल मीणा ग्राम — मणावला पंचायत व पोस्ट — लुहारिया तहसील व जिला प्रतापगढ जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त रजिस्ट्रीकृत पार्टी का नाम) द्वारा खडे किये गए।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदम में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान — प्रतापगढ़ तारीख 11/12/2018



(वारसिंह)

(414146)

रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा क्षेत्री रिटर्शि.ज.जा.) प्रतापगढ़ उपखण्ड अधिकार्सी एकाँ पिखण्ड मजिस्ट्रेट, 172 (अतामगढ़) प्रतापगढ